



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2005/पौष 28, 1926

No. 53]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2005/PAUSA 28, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2005

का.आ. 64(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"10	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (200/0 कि.मी. से 280/060 कि. मी. बालासोर से उड़ीसा/झारखण्ड सीमा तक), सं. 6, सं. 23, सं. 43, सं. 75 (विस्तार) (खुंटी-चक्रधरपुर-जैतगढ़-परसोरा सड़क), सं. 200 और सं. 217 का उतना भाग जितना कि उड़ीसा राज्य के भीतर है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42, सं. 201, सं. 203 (भुवनेश्वर-पुरी सेक्शन), सं. 215 और सं. 224 (खुर्दा-बोलनगीर सड़क)।	उड़ीसा राज्य सरकार।"

[फा. सं. रा.रा.-14012/24/2004-पी. एण्ड एम.]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अन्तिम बार का.आ. 1290(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2005

S.O. 64(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the then Ministry of Surface Transport Number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
“10.	So much of National Highways No. 5 (from Km. 200/0 to Km. 280/060 from Balasore to Orissa/Jharkhand Border), No. 6, No. 23, No. 43, No. 75 (extension) [(Khunti- Chakradharapur-Jauitgarh-Parsora Road)], No. 200 and No. 217 as are situated within the State of Orissa and National Highways No. 42, No. 201, No. 203 (Bhubneshwar-Puri Section), No. 215 and No. 224 (Khurda-Bolangir Road).	State Government of Orissa.”

[F. No. NH-14012/24/2004-P&M]

ALOK RAWAT, Jt.. Secy.

FootNote : —The principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended *vide* No. S.O. 1290(E), dated the 11th November, 2003.